अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, खूँटी

SAR Appeal वाद संख्या – 19R15/2015

सुखराम मुण्डा वगैरह – अपीलकर्त्ता।

बनाम्

पौलूस पूर्ती – विपक्षी।

आदेश

आदेश क्रमांक /तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
30.01.2021	यह अपील वाद विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी द्वारा SAR वाद सं0–01/2015–16 पौलूस पूर्ती बनाम सुखराम मुण्डा में दिनांक–26.10.15 को पारित आदेश के विरूद्ध विद्वान उपायुक्त, खूँटी के न्यायालय में Admission हेतु दायर करने के पश्चात इनके निदेश के आलोक में सुनवाई एवं निस्तार हेतु यह अपील वाद इस न्यायालय को प्राप्त है। दायर Memo of Appeal, विपक्षीगण द्वारा दायर Rejoinder, उभय पक्षों द्वारा दायर Written Arguments, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात वाद का विवरण निम्न प्रकार है :– आवेदक पौलूस पूर्ती द्वारा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय में इस जिले के मुरहू अंचल के ग्राम गजगांव थाना नं0–254 खता नं0–149 प्लॉट नं0–303 रकवा –1.02 एकड़ के मधे 0.28 एकड़ भूमि का CNT Act 1908 की धारा 71A के तहत भू–वापसी हेतु आवेदन दायर किया गया जिसे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.10.2015 द्वारा वाद को स्वीकार करते हुए अंचल	

अधिकारी, खूँटी को वाद/प्रश्नगत भूमि पर एक माह के अन्दर आवेदक को दखल दिलाने का आदेश दिया गया।

इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील विद्वान उपायुक्त, खूँटी के न्यायालय में दायर किया गया जिसे सुनने एवं निस्तारित करने हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया है।

अपील आवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी 50 वर्षों से अधिक अवधि से दखलकार हैं जैसा कि अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक–611 दिनांक–18.08.2015 में भी उल्लेख किया गया है। अपील आवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी को Adverse Possession के तहत हक/स्वत वाद प्राप्त हो चुका है एवं प्रश्नगत भूमि पर The Bihar Scheduled Areas Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71A लागू नहीं होता है। इन्होने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वाद CWJC No-3452/1998 देवसागर सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.03.2014 को पारित आदेश का हवाला दिया है। साथ ही अपीलार्थी एवं विपक्षी के बीच किसी प्रकार का भूमि हस्तांतरण नहीं हुआ है, जो The Bihar Scheduled Areas Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71A भू–वापसी हेतु आवश्यक शर्त्त है।

इनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि खेसरा सं0–303 के रकबा–0.28 एकड़ को इनके द्वारा सन् 1976 में क्रय किये गये खेसरा सं0–318 एवं 319 में इनके द्वारा क्रय के पूर्व से ही मिला लिया गया है।

दूसरी तरफ विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि अंचल–मुरहू मौजा–गजगाँव खाता सं0–149, प्लॉट सं0–303, रकबा–1.20 एकड़ मधे 0.28 ए० विपक्षी द्वारा निबंधित दस्तावेज दिनांक–15.05.1989 से बिक्रेता नतरो मांझी से क्रय किया गया है। प्रश्नगत भूमि बिक्रेता को भूतपूर्व जमीनदार/मध्यवर्ती से दिनांक–16.03.1949 को हुकुमनामा से प्राप्त है एवं बिक्रेता प्रश्नगत भूमि पर शान्तिापूर्ण दखलकार चले आ रहे थे। विपक्षी क्रय की गयी प्रश्नगत भूमि का

नामान्तरण कराकर अंचल अधिकारी, मुरहू को लगान दे रहे हैं। आवेदन के तीन वर्ष पूर्व अपीलार्थी द्वारा इनके प्रश्नगत भूमि का अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी द्वारा The Bihar Scheduled Areas Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71A के तहत प्रश्नगत भूमि का Restoration का आदेश विपक्षी के पक्ष में दिया गया है जो नियमानुकुल/विधिसम्मत है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि नहीं है अपितु सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते के रूप में दर्ज है। साथ ही प्रश्नगत भूमि का किसी प्रकार का हस्तांतरण अपीलार्थी एवं विपक्षी के बीच नहीं हुआ है।

ऐसी स्थिति में The Bihar Scheduled Areas Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71A के तहत किसी भी पक्ष को किसी प्रकार का Relief दिया जाना संभव नहीं है।

बिहार भूमि सूधार अधिनियम 1950 की धारा–4(h) के अनुसार दिनांक–01.01.1946 के पश्चात इस अधिनियम के प्रावधानों को शिकस्त देने, राज्य को क्षति पहुँचाने एवं उच्चतर क्षतिपुर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए बन्दोबस्ती/हस्तांतरण के मामलों को समाहर्त्ता द्वारा जॉच कर एवं संबंधित पक्षों को सुनकर ऐसे बन्दोबस्ती/हस्तांतरण को रद्द कर इस प्रकार के सम्पति का दखल ले लेना है।

श्री अनुप मुखर्जी, निदेशक भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या–3/खा0म0 निति–119/85, 2308/रा0 दिनांक–03.09.1985 में निहित दिशा निदेश के आलोक में इस प्रकार के जमाबंदियों की जॉच कर संदिग्ध जमाबंदियों को चिन्हित कर इन्हे रद्द करने की कार्रवाई करने का दिशा निदेश निर्गत है।

इस प्रकार के संदिग्ध जमाबंदियों के मामलों को रद्द करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र पत्र सं0–914/रा0 दिनांक–09.12.1998 में भी विस्तृत दिशा निदेश निर्गत

किया गया है।

इसके अतिरिक्त राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 द्वारा अभियान चलाकर ऐसे अवैध/संदिग्ध जमाबंदी को रद्द करने का निदेश प्राप्त है। साथ ही सुयोग्य श्रेणी के लाभुको के साथ चिन्हित अवैध/जमावंदी को नियमित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा०, दिनांक 21.12.2017 द्वारा निर्गत है।

अतः विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी के आदेश दिनांक–26.10.2015 को स्थगीत करते हुए संगत अपील वाद में अंचल अधिकारी मुरहू को तद्नुसार कार्रवाई हेतु आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, मुरहू को प्रेंषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30.1.2021

अपर समाहर्त्ता,

खूँटी

30.1.2021

अपर समाहर्त्ता,

खूँटी